

**प्रेस नोट- दिनांक- 29.09.2024, जनपद प्रतापगढ़**

प्रेस नोट दिनांक 29.09.2024

जनपद प्रतापगढ़ ।

“The chickens have come home to roost.” अर्थात् बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर अपराधी को दंड मिलने की सुनिश्चितता हो (certainty of the punishment) और वह भी त्वरित तो निश्चित रूप से अपराध पर लगाम लगती है।

एसपी डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना अंतू, थाना पट्टी, थाना लीलापुर पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, चोरी, हत्या का प्रयास जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त कुल 10 शांति अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अंतू, थाना पट्टी, थाना लीलापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत किया गया अभियोग पंजीकृत

गिरोहों के सभी लीडर व सदस्य पूर्व से जेल में निरुद्ध हैं ।

लूट की घटना का शीघ्र अनावरण कर पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा त्वरित विवेचना मात्र 24 दिवस में पूर्ण कर थाना अंतू पुलिस द्वारा मात्र 70 दिवस में अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही

हत्या की घटना का शीघ्र अनावरण कर मात्र 02 माह में त्वरित विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पट्टी पुलिस द्वारा मात्र 28 दिवस में की गई गैंगस्टर की कार्यवाही

प्रतापगढ़ ।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है ।

थाना अंतू पर 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत-

अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष अंतू जितेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 29.09.2024 को एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग लीडर व सदस्य क्रमशः (गैंग लीडर) 1- अजमल पुत्र अमजद निवासी काशीराम कालोनी सरोज चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, (गैंग सदस्य) 2- मो0 शहबाज पुत्र मो0 अली निवासी बेगम वार्ड चौराहा थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ 3- तैय्यब उर्फ जान पुत्र स्व0 मो0 मुस्लिम निवासी आवास विकास कालोनी मीराभवन थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध नियमानुसार मु0अ0सं0 547/24 धारा 2/3

उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में नामजद सभी गैंगस्टर पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.06.2024 को वादी पवन कुमार सिंह पुत्र जय नारायण सिंह निवासी भुसौड़ी थाना सरपतहा जनपद जौनपुर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा रजिस्टर्ड नान बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सोनाटा फाइनेंस प्र0लि0 शाखा प्रतापगढ़ द्वारा महिलाओं का समूह बनाकर एवं पर्सनल लोन वितरण की रिकवरी करके जाते समय 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तमंचा दिखाकर वादी के नकद रूपये आदि छीन लेने के संबंध में थाना अंतू पर मु0अ0सं0 351/24 धारा 392,306 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए 24 घंटे की अंदर थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत रामगढ़ी जाने वाले रोड़ के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्तों के साथ पुलिस मुठभेड़ में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जबकि 01 अभियुक्त ने आत्म समर्पण कर दिया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अंतू में मु0अ0सं0 352/2024 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में साक्ष्यों के आधार पर त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 19.07.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित कर मात्र 70 दिवस में दिनांक 29.08.2024 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गई।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त अजमल पुत्र अमजद निवासी काशीराम कालोनी सरोज चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़-

01. मु0अ0सं0 157/2021 धारा 302,34,363,504,506 भादवि व 3(ध), 3(द), 3(2)5,3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 738/2018 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 957/22 धारा 399/402 भादवि थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 355/2023 धारा 307,323,506 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 655/2023 धारा 392,504,506,411 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 656/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0 87/2023 धारा 392,504,420,465,468 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोहडौर, जनपद प्रतापगढ़।
08. मु0अ0सं0 94/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोहडौर, जनपद प्रतापगढ़।
09. मु0अ0सं0 95/2023 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कोहडौर, जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0 745/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0 45/2024 धारा 392, 120बी,411 भादवि थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0 54/2024 धारा 392, 120बी,411 भादवि थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
13. मु0अ0सं0 351/2024 धारा 392, 506,411 भादवि थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

14. मु0अ0सं0 352/2024 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

मो0 शहबाज पुत्र मो0 अली निवासी बेगम वार्ड चौराहा थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़-

01. मु0अ0सं0 204/22 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 351/2024 धारा 392, 506,411 भादवि थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

03. मु0अ0सं0 352/2024 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

तैय्यब उर्फ जान पुत्र स्व0 मो0 मुस्लिम निवासी आवास विकास कालोनी मीराभवन थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़-

01. मु0अ0सं0 1161/2018 धारा 379,411,413,419,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 1164/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

03. मु0अ0सं0 476/2017 धारा 41, 411, 419, 420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

04. मु0अ0सं0 470/2017 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

05. मु0अ0सं0 382/2019 धारा 386/506 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

06. मु0अ0सं0 307/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

07. मु0अ0सं0 437/2021 धारा 147,148,149,323,427,504,506 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।

08. मु0अ0सं0 552/2023 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

09. मु0अ0सं0 549/2023 धारा 386/504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

10. मु0अ0सं0 133/2024 धारा 394,504,506 भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

11. मु0अ0सं0 351/2024 धारा 392, 506,411 भादवि थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

12. मु0अ0सं0 352/2024 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी पर 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत-

अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक पट्टी आलोक कुमार के नेतृत्व दिनांक 29.09.2024 को थाना पट्टी पर एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग लीडर व सदस्य क्रमशः (गैंग लीडर) 1- वसीम खान पुत्र स्व0 निगार अहमद निवासी ग्राम बेलसण्डी थाना पट्टी, प्रतापगढ़ (गैंग सदस्य) 2- मकबूल हुसैन पुत्र शेरअली ग्राम बेलसण्डी थाना पट्टी, प्रतापगढ़

03. मो0 सोनू पुत्र हुसैन ग्राम बेलसण्डी थाना पट्टी, प्रतापगढ़ 04. अब्दुल कलाम उर्फ लाल बाबू पुत्र अब्दुल मजीद ग्राम बेलसण्डी थाना पट्टी, प्रतापगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 300/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज

विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में नामजद सभी गैंगस्टर अभियुक्तगण पूर्व से जेल में निरुद्ध हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.07.2024 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिक लड़की घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। अभियुक्तगणों द्वारा पीडिता को घर छोड़ने के बहाने मोटर साइकिल पर बैठा लिया गया व सुनसान जगह पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 231/2024 धारा 70(2), 351(3) बीएनएस व 5जी/6 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में टीमों द्वारा उपरोक्त घटना का शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। दिनांक- 23.07.2024 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अन्य 02 अभियुक्तों को 25.07.2024 को गिरफ्तार किया गया। साक्ष्यों के आधार पर त्वरित विवेचना मात्र 02 माह में पूर्ण कर आरोप पत्र दिनांक 30.08.2024 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। थाना पट्टी पुलिस द्वारा दिनांक 29.09.2024 को अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गई।

।

थाना लीलापुर से 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत-

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक लीलापुर नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 29.09.2024 को थाना अंतू पर एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग लीडर व सदस्य क्रमशः (गैंग लीडर) 1-समरजीत वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा निवासी ग्राम घरौरा थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ (गैंग सदस्य) 2-अनिल वर्मा पुत्र मंगरु वर्मा निवासी ग्राम घरौरा थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ 3- अनुज वर्मा पुत्र कल्लू वर्मानिवासी ग्राम घरौरा थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 369/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में नामजद सभी गैंगस्टर अभियुक्तगण पूर्व से जेल में निरुद्ध हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2023 को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत शास्त्री स्कूल के पास घरौरा चौराहा पर अशोक कुमार वर्मा पुत्र श्रीराम वर्मा को अवैध असलहा से गोली मारने पर मृत्यु हो जाने के संबंध में दिनांक 27.04.2023 को थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 120/2023 धारा 34, 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम नामजद अभियुक्तों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त घटना के त्वरित अनावरण कर सभी अभियुक्तों को 02 माह के अन्दर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। त्वरित

विवेचना पूर्ण कर साक्ष्यों के आधार पर संबंधित अभियुक्तगणों के विरुद्ध दिनांक 12.07.2023 को आरोप पत्र मा0न्यायालय प्रेषित किया गया। उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 29.09.2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की कार्यवाही की गई है।

बयान – जीरी टॉलरेंस नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस कटिबद्ध है। अपराधियों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा। शीघ्र गिरफ्तार कर अपराधियों को जेल भेजे जाने की कार्यवाही जारी है। शांत एवं सुरक्षित समाज निर्माण में प्रतापगढ़ पुलिस का सहयोग करें।

डॉ0 अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़

### **प्रेस नोट दिनांक 29.09.2024**

#### **जनपद प्रतापगढ़।**

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अभियान के तहत 09 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात से 02, थाना अन्तू से 01, थाना पट्टी से 01, थाना जेठवारा से 01, थाना लालगंज से 01, थाना संग्रामगढ़ से 03, इस प्रकार जनपद पुलिस द्वारा कुल 09 वारण्टी गिरफ्तार

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रयागराज एवं पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/पश्चिमी) तथा समस्त क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा थाना कोतवाली देहात से 02, थाना अन्तू से 01, थाना पट्टी से 01, थाना जेठवारा से 01, थाना लालगंज से 01, थाना संग्रामगढ़ से 03, इस प्रकार जनपद पुलिस द्वारा कुल 09 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।

वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का थानावार विवरण-

थाना कोतवाली देहात से 02 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री राकेश सिंह भदौरिया द्वारा सम्बन्धित परिवाद संख्या 461/16 अंतर्गत धारा 323,504,506 भादवि थाना कोतवाली देहात से संबंधित 02 नफर वारण्टी-

1- सचिन पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी पूरे चकई थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

2- अजय पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी पूरे चकई थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री राकेश चौरसिया द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 313/18 अ0सं0 143/17 अंतर्गत धारा 308,147,504,506 भादवि थाना अन्तू से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- अजहर पुत्र शफीक निवासी कुआं थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री भूपेशनाथ सिंह मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 4671/09 धारा 25A एक्ट थाना कंधई से सम्बन्धित 01 वारण्टी-

1-बब्लू पाल पुत्र जगदेव पाल निवासी ग्राम दशरथपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री रामजी यादव द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 1972/2001 मु0अ0सं0 104/92 धारा 147,323,325,504 भादवि थाना जेठवारा से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- सर्वेश तिवारी पुत्र भानू प्रकाश तिवारी निवासी ग्राम पूरे भगत थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 22/20 अ0सं0 76/1984 अंतर्गत धारा 325,324,323,504,506 भादवि से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- रामसकल पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम सांगीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना संग्रामगढ़ से 03 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री अमित सिंह द्वारा सम्बन्धित परिवार संख्या 1168/22 मु0अ0सं0 219/16 अंतर्गत धारा 147,504,506 भादवि थाना संग्रामगढ़ से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1-दयाराम प्रजापति पुत्र बचई निवासी ग्राम हिरई का पुरवा,मजरा बवलिया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

2-नन्दलाल पटेल पुत्र गनेश निवासी ग्राम हिरई का पुरवा,मजरा बवलिया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

3-नन्हेंलाल पटेल पुत्र सतन निवासी ग्राम हिरई का पुरवा,मजरा बवलिया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

कुल वारण्टी /गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1- सचिन पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी पूरे चकई थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

2-अजय पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी पूरे चकई थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

3- अजहर पुत्र शफीक निवासी कुआं थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

4- बब्लू पाल पुत्र जगदेव पाल निवासी ग्राम दशरथपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

5- सर्वेश तिवारी पुत्र भानू प्रकाश तिवारी निवासी ग्राम पूरे भगत थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

6- रामसकल पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम सांगीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

7-दयाराम प्रजापति पुत्र बचई निवासी ग्राम हिरई का पुरवा,मजरा बवलिया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

8-नन्दलाल पटेल पुत्र गनेश निवासी ग्राम हिरई का पुरवा,मजरा बवलिया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

9-नन्हेंलाल पटेल पुत्र सतन निवासी ग्राम हिरई का पुरवा,मजरा बवलिया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।